UPBJ010008712021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं01, बिजनौर।
सत्रवाद सं0ः– 158/2021
सरकार बनाम बब्बू

धारा– 307
भारतीय दण्ड संहिता
थाना चांदपुर, जिला बिजनौर।
(मु0अ0सं0–580/2020)

02–03–2021

वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त बब्बू जिला कारागार से उपस्थित। आज पत्रावली वास्ते बहस आरोप विरचन नियत है।

आरोप के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी में अंकित किये गये साक्षीगण के बयानात एवं एकत्रित किये गये सबूतो के आधार पर अभियुक्त बब्बू के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त एवं समुचित साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त बब्बू के विरूद्ध उक्त धारा में आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 15–03–2021 को पेश हो।

दिनांकः–02–03–2021

(योगेश कुमार–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं01, बिजनौर।
J.O Code- UP 1599

CNR N0-UPBJ010008712021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं01, बिजनौर।
सत्रवाद सं0:– 158/2021
सरकार बनाम बब्बू

धारा– 307
भारतीय दण्ड संहिता
थाना चांदपुर, जिला बिजनौर।
(मु0अ0सं0–580/2020)

–:आरोप:–

मै, योगेश कुमार–द्वितीय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय स01, बिजनौर आप बब्बू पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूॅं:–

प्रथम:– यह कि दिनांक 25–09–2020 को समय करीब 7:30 बजे सांय बहद मौ0 चाहसंग कस्बा चांदपुर, थाना चांदपुर जिला बिजनौर में आपने वादनी शबनम के पुत्र बशीर अहमद पर जान से मारने की नियत से आग्नेयास्त्र/तमन्चे से फायर किया तथा वह घायल हो गया। आपने आग्नेयास्त्र/तमन्चे से फायर ऐसे आशय एवं ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि आपके उक्त कार्य से वादनी के पुत्र की मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है;

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के अन्तर्गत आपका विचारण न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
दिनांक:–02–03–2021

(योगेश कुमार–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं01, बिजनौर।
J.O Code- UP 1599

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण चाहा।
दिनांक:–02–03–2021

(योगेश कुमार–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं01, बिजनौर।
J.O Code- UP 1599

Digitally signed by YOGESH KUMAR II
Date: 2021.03.02 17:21:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court